न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।

उपस्थितः रणजीत कुमार, (एच0जे0एस0) जे0ओ0 कोड–यू.पी. 6509

CNR No. UPJP010005412017

सत्र वाद सं0–11/2017
(पंजीकरण सं0–66/2017)

उ0प्र0 राज्य..... ..... **.....अभियोगी**

बनाम

रामलोचन चौहान पुत्र रामरूप,
निवासी बढौली नोनियान, थाना सिकरारा, जिला जौनपुर।

.....अभियुक्त

मु0अ0सं0–641/2016
धारा– 186, 323, 325, 332, 353, 452,
504 भा0दं0सं0 व धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट एवं
धारा 3 (1) (द) व 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
थाना–सिकरारा, जिला जौनपुर।

निर्णय

1. मु0अ0सं0 641/2016, अंतर्गत धारा 186, 323, 325, 332, 353, 452, 504 भा0दं0सं0, धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट एवं धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना सिकरारा, जिला जौनपुर के प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्त रामलोचन चौहान के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र सं0 ए–111/2016 दिनांकित 13.12.2016 पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त सत्र वाद सं0 11/2017(पंजीकरण सं0–66/2017) में विचारण कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा विनोद कुमार ने थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर पर लिखित तहरीर इस आशय की दी कि वह पूर्व माध्यमिक विद्यालय बढौली नोनियान पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है, दिनांक 05.09.2016 को समय 9:30 बजे ग्राम पंचायत बढौली नोनियान के प्रधान रामलोचन चौहान, सफाईकर्मी संदीप कुमार व चार–पांच और दबंग लोगों के साथ रिवाल्वर व लाठी डण्डे के साथ विद्यालय में आकर प्रधानाध्यापिका श्रीमती आइशा बेगम के कक्ष में एम0डी0एम0 के संबंध में गाली गलौज देते हुए वाद–विवाद करने लगे। गाली गलौज की आवाज सुनकर वह बीच बचाव करने हेतु मौके पर आया, आक्रोशित ग्राम प्रधान ने उसको जातिसूचक और अपमान

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.24 16:45:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जनक शब्दों के साथ गाली देते हुए मार–पीट करने लगा, जिससे उसके हाथ, पैर व सिर में गंभीर चोट आयी है। विद्यालय के अध्यापक अखिलेश दूबे, स्वामीनाथ, उमाशंकर यादव, प्रदीप कुमार व अनुचर राम सागर मौके पर पहुंच कर बीच बचाव किये, जिससे उसकी जान बच सकी तथा कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न किये।

3. वादी मुकदमा विनोद कुमार की उपरोक्त तहरीर प्रदर्श–क–1 के आधार पर दिनांक 05.09.2016 को समय 11:50 बजे थाना सिकरारा में अभियुक्तगण रामलोचन चौहान, संदीप कुमार एवं चार–पांच अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मु0अ0सं0 641/2016 अंतर्गत धारा 147, 148, 353, 452, 149, 186, 332, 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा गवाहों के बयान लिये गये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त रामलोचन चौहान के विरूद्ध धारा 186, 323, 325, 332, 353, 452, 504 भा0दं0सं0, धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट एवं धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. आरोप पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र वाद सं0 11/2017(पंजीकरण सं0–66/2017) स्टेट बनाम रामलोचन चौहान के रूप में दर्ज हुआ।

6. न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2018 को अभियुक्त रामलोचन चौहान के विरूद्ध धारा 186, 323, 325, 332, 353, 452, 504 भा0दं0सं0, धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट एवं धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के दण्डनीय अपराध में आरोप सृजित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोपों से इंकार किया गया एवं विचारण की मांग की गई।

7. विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं–

साक्षी क्रमांक	**साक्षी नाम**	**साक्षी का विवरण**
पी0डब्लू0–1	विनोद कुमार	चोटहिल साक्षी
पी0डब्लू0–2	रामसागर	तथ्य/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी0डब्लू0–3	आएशा बेगम	तथ्य/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

8. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को धारा 294 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत स्वीकार कर लिये जाने के कारण उन पर नियमानुसार प्रदर्श डालकर अभियोजन साक्ष्य के अवसर को समाप्त किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्श क–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–क–2, कायमी जी0डी0 प्रदर्श–क–3, इंजरी रिपोर्ट विनोद कुमार प्रदर्श–क–4, एक्सरे रिपोर्ट विनोद कुमार प्रदर्श–क–5, नक्शा नजरी प्रदर्श–क–6 एवं आरोप पत्र प्रदर्श–क–7, एक्सरे फिल्म वस्तु प्रदर्श–1 दाखिल किये गये हैं।

9. मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0 1 विनोद कुमार, पी0डब्लू0–2 रामसागर एवं पी0डब्लू0 2 आएशा बेगम को परीक्षित कराया गया है।

10. दिनांक 18.03.2026 को अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया, और अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–3 द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया, और अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध में कुछ भी कहने से इंकार किया, और अभियोजन प्रपत्रों की मात्र औपचारिक सत्यता स्वीकार होना बताया, और मुकदमा रंजिशन चलना बताया, सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया और कहा कि वह निर्दोष है, उसे गलतफहमी में फंसा दिया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है।

11. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

12. दौरान बहस विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियुक्त पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित हैं, अतः उसे आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध किया जाए।

13. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि किसी अभियोजन साक्षीगण के द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

14. अभियोजन केस यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 05.09.2016 को अभियुक्त रामलोचन चौहान ने वादी मुकदमा विनोद कुमार, जो कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ग्राम बढौली नोनियान, थाना सिकरारा, जिला जौनपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है, को लाठी डण्डा से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति एवं गंभीर उपहति कारित किया, और जिस कृत्य के कारण विद्यालय में भय व्याप्त हो गया, जिससे वहां भगदड़ मच गयी, तथा विद्यालय में घुसकर गृह अतिचार किया, वादी मुकदमा को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोककर आपराधिक बल का प्रयोग किया, और वादी मुकदमा को चोट पहुंचाकर भयोपरत किया, वादी मुकदमा के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डाली, गाली गलौज देकर अपमानित किया एवं को भयाक्रान्त करने के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, तथा अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा को सार्वजनिक स्थल पर जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। ।

15. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने वास्ते आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व होता है।

16. उक्त दायित्व निर्वहन के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से चोटहिल/वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना के समय वह पूर्व माध्यमिक विद्यालय बढौली नोनियान में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था। घटना दिनांक 05.09.2016 को सुबह 9:30 बजे की है। ग्राम

पंचायत बढौली नोनियान के प्रधान रामलोचन चौहान, सफाई कर्मी संदीप कुमार व 4–5 अन्य लोग एक साथ लाठी डण्डा व असलहा लेकर विद्यालय में आए और विद्यालय में आकर प्रधानाध्यापिका श्रीमती आयशा बेगम के कक्ष में एम0डी0एम0 के संबंध में आयशा बेगम को गाली गुप्ता देते हुए विवाद करने लगे। शोर पर वह बीच बचाव करने मौके पर गया तो ग्राम प्रधान रामलोचन चौहान उसे मारने पीटने लगे और मां बहन की गाली देते हुए जातिसूचक शब्द चमार कहकर अपमानित करने लगे। विद्यालय के अध्यापक अखिलेश दूबे, स्वामीनाथ, उमाशंकर, प्रदीप व चपरासी रामसागर बीच बचाव किये। मुल्जिमान ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया। उक्त घटना की सूचना उसी दिन थाना सिकरारा पर जरिये प्रार्थनापत्र दिया। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध का0सं0 4क/5 को देखकर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और प्रदर्श–क–1 के रूप में साबित किया। विवेचना ने बयान लिया था। घटनास्थल विवेचक को दिखा दिया था।

17. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि घटना शिक्षक दिवस के दिन की है, शिक्षक दिवस के दिन स्कूल में शिक्षक सम्मान हेतु कार्यक्रम रखा था, जिसमें गांव के काफी लोग भी इकट्ठा हुए थे, और इसी बीच रामलोचन चौहान, जो ग्राम प्रधान हैं, आए और प्रधानाध्यापिका आयशा बेगम से एम0डी0एम0 भोजन बनाने की बातचीत को लेकर कहासुनी होने लगी। इसी बीच वह भी वहां पर पहुंच गया, और रामलोचन प्रधान को समझाने–बुझाने का प्रयास करने लगे, इतने में वहां इकट्ठा गांव के काफी व्यक्ति मौके पर आ गये थे, और धक्का मुक्की होने लगी, और उसी धक्का मुक्की में वहां पर गिरा चावल का पानी से फिसल कर वह गिर गया, जिससे उसके दाहिने हाथ में चोटें आ गयी। मामला शांत होने पर कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसने रामलोचन चौहान के खिलाफ प्रार्थनापत्र थाना सिकरारा पर दे दिया था, जबकि उसको किसी ने मारा–पीटा नहीं था, और न ही किसी ने मारा–पीटा नहीं था, और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था, न ही गाली गुप्ता दिया था, और न ही जान से मारने की धमकी दिये थे, और न ही सरकारी कार्य में कोई व्यवधान ही पैदा किए थे, बल्कि फिसलकर गिरजाने की वजह से उसे चोट आ गयी थी। उसको किसी ने मारा–पीटा नहीं था। विवेचक को उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, इसकी वजह नहीं बता सकता। न ही किसी के द्वारा कार्यक्रम के दौरान आतंक ही फैलाया गया।

18. इस प्रकार इस चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा/पीड़ित की सम्पूर्ण परीक्षा में आए कथनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, परन्तु मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों के बिल्कुल विपरीत अभियोजन कथानक से इंकार करते हुए साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि उसको किसी ने मारा–पीटा नहीं था, न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था, न ही गाली गुप्ता दिया था, न ही जान से मारने की धमकी दिया था, और न ही सरकारी कार्य में कोई व्यवधान ही पैदा किया गया था, बल्कि फिसलकर गिर जाने की वजह से उसे चोट आ गयी थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसने रामलोचन चौहान के खिलाफ प्रार्थनापत्र थाना

सिकरारा पर दे दिया था। साक्षी ने स्वयं को आई चोटों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मौके पर भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी थी, और उसी धक्का मुक्की में चावल के पानी से फिसल कर वह गिर गया था, जिससे उसके दाहिने हाथ में चोटें आ गयी थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में किये गये विरोधाभासी कथनों एवं प्रतिपरीक्षा में किये गये इस आशय के स्पष्ट कथन कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गई है, के दृष्टिगत इस साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक स्थापित नहीं माना जा सकता है। यह साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं है। इस अविश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 रामसागर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना के समय दिनांक 05.09.2016 को वह पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्राम बढौली, नोनियान में तैनात था। घटना के दिन सुबह 9:30 बजे विद्य ालय उपरोक्त पर ग्राम पंचायत बढौली नोनियान के प्रधान रामलोचन चौहान व सफाई कर्मी संदीप कुमार व अन्य कई लोग विद्यालय में आए थे और विद्यालय में प्रधानाध्यापिका आईशा बेगम के कक्ष में उपरोक्त लोगों में एम0डी0एम0 को लेकर कुछ कहासुनी हो रही थी, वाद विवाद हो रहा था। उस समय वह विद्याालय के मैदान में था। शोर गुल पर वह आईशा बेगम के कक्ष में पहुंचा तो वहां पर उपरोक्त लोगों के अलावा विनोद कुमार, जो कि उसके ही विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। सबके बीच जोर–जोर से बहसा–बहसी हो रही थी। उसने भी उपरोक्त लोगों को शांत कराने का प्रयास किया था, उसके सामने रामलोचन चौहान, प्रधान व संदीप कुमार व अन्य 4–5 लोगों ने विनोद कुमार को मारा–पीटा नहीं था, और न ही उसके सामने विनोद कुमार व आईशा बेगम को मुल्जिमान उपरोक्त ने गाली गुप्ता देते हुए मां बहन की देते हुए जातिसूचक शब्द चमार सियार कहकर अपमानित किया था, और न ही उसके सामने मुल्जिम रामलोचन ने सरकारी कार्य में बाधा ही उत्पन्न किया था, और न ही असलहे से किसी को आतंकित ही किया था। वह घटनास्थल पर पहुंचा तो घटना घट चुकी थी।

20. इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अक्षरशः पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान सी0ओ0 साहब को नहीं दिया था, उन्होने उसका यह बयान कैसे लिख लिया, नहीं बता सकता। अभियोजन की ओर से सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने कहा कि यह कहना गलत है कि मैं घटनास्थल पर मौजूद था, और घटना देखा था। यह भी कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से मिल गया हूं, और नाजायज लाभ लेकर उन्हें मुकदमें से बचाने के लिए न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।

21. इस प्रकार उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 की सम्पूर्ण परीक्षा में आए कथनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि साक्षी कथनानुसार उसके सामने रामलोचन चौहान, प्रधान व संदीप कुमार व अन्य 4–5 लोगों ने विनोद कुमार को मारा–पीटा नहीं था, और न ही उसके सामने विनोद कुमार व आईशा बेगम को मुल्जिमान उपरोक्त ने गाली गुप्ता देते हुए मां बहन की देते हुए जातिसूचक शब्द चमार सियार कहकर अपमानित

किया था, और न ही उसके सामने मुल्जिम रामलोचन ने सरकारी कार्य में बाधा ही उत्पन्न किया था, और न ही असलहे से किसी को आतंकित ही किया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक के विपरीत अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के साथ किसी भी प्रकार की घटना कारित किये जाने से इंकार कर दिया है। अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में भी साक्षी द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

22. अभियोजन की ओर से परीक्षित चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–3 आएशा बेगम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05.09.2016 को वह पूर्व माध्यमिक विद्यालय बढौली नोनियान पर प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थी। उस दिन विद्यालय में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम 09.30 बजे था, जिससे वह व उसके साथ अन्य कार्यरत शिक्षक विद्यालय पर आ गये थे। रामलोचन चौहान अपने साथ सफाईकर्मी संदीप चौहान एवं अन्य 4–5 लोगों को लेकर विद्यालय में आए, और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जोर–जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि अब तक तो कुछ सामान बांटने के लिए दे रहा था, पर अब नहीं देंगे, और देखते हैं कि तुम क्या लेती हो। उनके इस व्यवहार से व गाली गुप्ता देने से काफी भयभीत हो गये। इसी बीच मुल्जिमान जोर–जोर से गाली देते हुए स्कूल का मेज वगैरह तोड़ने लगे। विनोद कुमार ने प्रधान से कहा कि आज के दिन आप कैसा सम्मान दे रहे हैं, इसी पर मुल्जिमान भड़क गए और कहे कि चमाड़िया साले तुम लोग शिकायत करते हो। उनके गाली देने से मना करने पर रामलोचन व संदीप लात घूसा से मारने लगे। विद्यालय के अध्यापक बीच बचाव करना चाहे तो रामलोचन अपने साथ लाए साथियों से ललकार कहे कि मारो सालों को। सभी लोग कमरे में घुस गये तो बाहर खींचकर लाये और विनोद को लाठी से मारने लगे, जिससे उसका हाथ टूट गया। बच्चे भी भयभीत होकर स्कूल से भागने लगे।

23. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि घटना के दिन शिक्षक दिवस के दिन स्कूल में सम्मान शिक्षक का कार्यक्रम रखा था, जिससे गांव के प्रधान व काफी लोग इकट्ठा हुए थे, ग्राम प्रधान रामलोचन एम0डी0एम0 के भोजन के बारे में उससे बातचीत चल रही थी। इसी बीच वहां भीड़ होने के कारण कहासुनी भी होने लगी। भीड़ होने की वजह से धक्का मुक्की होने लगी। एम0डी0एम0 के बना भोजन चावल का पानी बह जाने के कारण सहायक अध्यापक विनोद फिसल जाने के कारण गिर गए थे, जिससे उनके दाहिने हाथ में चोट आ गयी थी। कुछ लोगों के बहकावे मे आकर थाना सिकरारा पर सहायक अध्यापक विनोद द्वारा दरखास्त दे दिया गया था। वहां पर न तो कोई मारपीट झगड़ा झंझट हुआ था, न जातिसूचक शब्दों से किसी ने अपमानित ही किया था, न तो प्रधान रामलोचन द्वारा अवैध असलहा ही लिया गया था, न ही किसी को आतंकित किया गया था, और न ही किसी को जान से मार डालने की धमकी दिया गया था। बल्कि बातचीत के दौरान सहायक अध्यापक विनोद कुमार समझाने बुझाने के लिए आ रहे थे, और फिसल कर गिर जाने की वजह से उनको चोटें आ गयी थी।

24. इस प्रकार उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–3 की सम्पूर्ण परीक्षा में आए कथनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, परन्तु मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों के बिल्कुल विपरीत अभियोजन कथानक से इंकार करते हुए साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि घटनास्थल पर न तो कोई मारपीट व झगड़ा झंझट हुआ था, न जातिसूचक शब्दों से किसी ने अपमानित ही किया था, न तो प्रधान रामलोचन द्वारा अवैध असलहा ही लिया गया था, न ही किसी को आतंकित किया गया था, और न ही किसी को जान से मार डालने की धमकी दी गयी थी। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि एम0डी0एम0 के बना भोजन चावल का पानी बह जाने के कारण सहायक अध्यापक विनोद फिसल जाने के कारण गिर गए थे, जिससे उनके दाहिने हाथ में चोट आ गयी थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में किये गये विरोधाभासी कथनों एवं प्रतिपरीक्षा में किये गये इस आशय के स्पष्ट कथन कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गई है, के दृष्टिगत यह साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं है। इस अविश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

25. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी एवं चोटहिल साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा/चोटहिल द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्त ने उसके साथ किसी भी प्रकार की घटना कारित नहीं की थी। अभियोजन की ओर से परीक्षित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 ने भी स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा पीड़ित के साथ किसी भी प्रकार की घटना कारित किये जाने से इंकार कर दिया है। चोटहिल साक्षी ने स्वयं को आई चोटों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया है कि चावल के पानी से फिसल जाने के कारण उसको चोटें आई थीं। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक स्थापित नहीं हो पाया है। प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई है, जिस आधार पर अभियोजन प्रपत्र साबित हुए हैं, तथा चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श–क–4 व एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श–क–5 अनुसार चोटहिल के दाहिने हाथ की कलाई के जोड़ पर सूजन व फ्रैक्चर पाया गया है। परन्तु अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक किसी प्रकार से स्थापित न होने के दृष्टिगत अभियोजन प्रपत्र साबित होने मात्र के आधार पर अभियोजन केस साबित नहीं माना जा सकता है।

26. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त रामलोचन चौहान के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त रामलोचन चौहान धारा 186, 323, 325, 332, 353, 452, 504 भा0दं0सं0 व धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट एवं धारा 3 (1) (द) व 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

27. इस स्तर पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण को नामजद कराते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस अनुक्रम में बाद विवेचना आरोप पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा विचारण कार्यवाही की गई, किन्तु वादी मुकदमा के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त साक्षी द्वारा मिथ्या साक्ष्य देकर अभियुक्तगण को संलिप्त किया गया है। अतः उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार के विरूद्ध मिथ्या साक्ष्य देने के सन्दर्भ में आपराधिक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

मु0अ0सं0 641/2016 से उद्भूत सत्र वाद सं0 11/2017 (पंजीकरण सं0–66/2017), स्टेट बनाम रामलोचन, थाना सिकरारा, जिला जौनपुर के प्रकरण में अभियुक्त रामलोचन चौहान को धारा 186, 323, 325, 332, 353, 452, 504 भा0दं0सं0 व धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट एवं धारा 3 (1) (द) व 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उक्त अभियुक्त के जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में दाखिल जमानतनामें निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभाव मे रहेंगे।

वादी मुकदमा/साक्षी पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार के विरूद्ध धारा 344 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण वाद पंजीकृत हो। उक्त साक्षी को इस आशय की नोटिस जारी हो कि क्यों न उसे मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दण्डित किया जाये।

दिनांक–24.03.2026

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–24.03.2026

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509